न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः– श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 02/2019

बउनवान

जुगराज मीणा आयु 30 साल पुत्र श्री सूरजमल मीणा निवासी बोरदा तहसील मांगरोल जिला बारां (प्रार्थी)

बनाम

1\. श्रीमति बृज बेवा बद्रीलाल जाति बैरागी साकिन मांगरोल जिला बारां (मृतक)
1/1 कोमल किशोर पुत्र बृज बेवा बद्रीलाल
1/2 लाडबाई पुत्री बृज बेवा बद्रीलाल
1/3 मंजूबाई पुत्री बृज बेवा बद्रीलाल जातिगण बैरागी निवासी मांगरोल तहसील व जिला बारां
2\. नन्दकिशोर पुत्र पूरणचन्द बैरागी पशु चिकित्सालय के पीछे, मांगरोल जिला बारां
3\. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (अप्रार्थी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा, 17(4) राज0 कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण नियम, 1973

उपस्थिति :– 1. श्री ओमप्रकाश मेहता II, अभिभाषक (प्रार्थी)
2\. श्री बाबूलाल जैन, अभिभाषक (अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक 03.01.2023

प्रार्थी की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 10/2005 दर्ज किया जाकर निर्णय दिनांक 29.03.2006 से "प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण नियम 1973 के अन्तर्गत धारा 17(4) के तहत आंशिक स्वीकार किया जाकर अप्रार्थिया बृज बेवा का भू आवंटन आदेश दिनांक 28.06.81 की पुनः जांच किये जाने हेतु तहसीलदार मांगरोल को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये गये कि कस्बा मांगरोल के नामान्तकरण संख्या 841 व नामान्तकरण संख्या 300 एवं दौराने सेटलमेन्ट रेकार्ड 2044–63 में बृज बेवा बद्रीलाल, नन्दकिशोर पुत्र पूरणमल का नाम खसरा नंबर 11 रकबगा 1.33 है. व खसरा नंबर 72 रकबा 0.29 है. किस प्रकार दर्ज हुआ है। जांच के दौरान यह भी स्पष्ट किया जावे कि ग्राम मांगरोल सीलिंग सिवायचक भूमि पूर्व खसरा नंबर 7 रकबा 20 बीघा 14 बिस्वा के नवीन खसरा नंबरान की भू आवंटी बृज व नन्दकिशोर के किस–किस आदेश से गैर खातेदारी में उनके नाम दर्ज हुयी है। आवंटी बृज के आवंटन से पूर्व मांगरोल तहसील एवं इसके ससुराल ग्राम ढोटी तहसील अटरू में कितनी कितनी भूमि अवाप्त ... स्पष्ट की जावे। दौराने कार्यवाही आवंटन आदेश दिनांक 28.06.81 निष्प्रभावी घोषित किया ... भारी तहसीलदार, मांगरोल को अपेक्षित विधिक कार्यवाही करने के ... इससे व्यथित होकर "अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में अपील ... श की जो प्रकरण संख्या 141/2006 पर दर्ज होकर निर्णय दिनांक 2?.04.2007 द्वारा आंशिक स्वीकार की जाकर न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.03.2006 निरस्त किया जाकर प्रकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.01.24 11:03:36 IST
Reason: SelfAttested

इन दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि (1). दिनांक 28.06.81 को विवादित आराजी से संबंधित आवंटन हेतु कुल कितने आवंटन प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे। (2). क्या प्रार्थी जुगराज द्वारा विवादित भूमि के संबंध में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था । (3) क्या आवंटी बिरजूबाई उक्त भूमि के आवंटन की पात्रता नहीं रखती थी। (4) दिनांक 28.06.81 को बेवा बिरजूबाई के खाते में वस्तुतः कुल कितनी भूमि थी तथा उक्त भूमि होने से क्या वह आवंटन हेतु पात्र नहीं थी। (5) क्या बेवा बिरजूबाई को 34 वर्ष की उसकी आयु में आज से 25 वर्ष पूर्व कोरम द्वारा किये गये आवंटन को मात्र खाते में स्थित भूमि अंकित नहीं करने से कपटपूर्वक कराया गया आवंटन माना जा सकता है। उक्त बिन्दुओं पर प्रकरण का पुनः परीक्षण कर सम्यक् निर्णय पारित करें।'' इससे व्यथित होकर अप्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान में अपील एलआर/6005/08/जिला बारां पेश की जिसमें पारित निर्णय दिनांक 16.08.2018 से अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय की पुष्टि की गई।

प्रकरण न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के उक्त निर्णय से प्रतिप्रेषित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्षकारान को तलब किया गया। उभयपक्षकारान जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुये। माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 27.04.2007 की पालना में तहसीलदार मांगरोल से "प्रकरण में न्यायालय आर.ए.ए. कोटा द्वारा निर्धारित बिन्दुओं (1) दिनांक 28.06.81 को विवादित आराजी से संबंधित आवंटन हेतु कुल कितने आवंटन प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे ? (2). क्या प्रार्थी जुगराज द्वारा विवादित भूमि के संबंध में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था ? (3) क्या आवंटी बिरजूबाई उक्त भूमि के आवंटन की पात्रता नहीं रखती थी ? (4) दिनांक 28.06.81 को बेवा बिरजूबाई के खाते में वस्तुतः कुल कितनी भूमि थी तथा उक्त भूमि होने से क्या वह आवंटन हेतु पात्र नहीं थी ? (5) क्या बेवा बिरजूबाई को 34 वर्ष की उसकी आयु में आज से 25 वर्ष पूर्व कोरम द्वारा किये गये आवंटन को मात्र खाते में स्थित भूमि अंकित नहीं करने से कपटपूर्वक कराया गया आवंटन माना जा सकता है ? '' पर बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार मांगरोल से वांछित रिपोर्ट प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी।

दौराने बहस अभिभाषक प्रार्थी एवं प्रार्थी स्वंय बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। ऐसी स्थिति में हमने एकपक्षीय बहस वकील अप्रार्थी की सुनकर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने का विनिश्चय किया।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि प्रार्थी ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो निरस्तनीय है। आवंटी को पात्रता के आधार पर ही भूमि का आवंटन किया गया है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को परेशान करने की गरज से प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 29.03.2006 के विरूद्ध न्यायालय आर.ए.ए. कोटा में अपील संख्या 141/2006 पेश की। जिसमें निर्णय दिनांक 27.04.2007 से पांच बिन्दु निर्धारित कर उन बिन्दुओं पर प्रकरण का परीक्षण कर सम्यक् निर्णय पारित करने के आदेश प्रदान किये गये। इस न्यायालय द्वारा उक्त बिन्दुओं पर तहसीलदार मांगरोल से रिपोर्ट चाही जो उनके पत्र दिनांक 07.06.2019 से प्राप्त हुई तथा संलग्न पत्रावली है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.01.24 11:03:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर

हमने एकपक्षीय बहस अभिभाषक अप्रार्थी पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने निर्णय दिनांक 27.04.2007 द्वारा पांच बिन्दु निर्धारित कर उन पर जांच कर पुनः निर्णय पारित किये जाने का आदेश दिया है जिसके विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रस्तुत अपील निर्णय दिनांक 16.08.2018 द्वारा खारिज की गई है। निर्धारित पांच बिन्दुओं की रिपोर्ट तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त की गई जिसके अनुसार (1) दिनांक 28.06.81 के आवंटन रजिस्टर में अप्रार्थिया सहित दो आवंटियों का नाम दर्ज है। (2) वक्त आवंटन प्रार्थी जुगराज का जन्म ही नहीं हुआ था। (3) अप्रार्थिया वक्त आवंटन भूमिहीन व स्थानीय निवासी होने से आवंटन हेतु पात्र थी। (4) अप्रार्थिया के आवंटन प्रार्थना पत्र पर तस्दीक रिपोर्ट पटवारी मांगरोल के अनुसार प्रार्थिया के पति व पिता के नाम कोई भूमि दर्ज रेकार्ड नहीं होने का उल्लेख है, पटवार मण्डल ढोटी तहसील अटरू के पटवारी रिपोर्ट अनुसार प्रार्थिया के ससुराल में संयुक्त खातेदारी में 0.02 है. भूमि (बाड़ा) दर्ज रेकार्ड बताया गया है। (5) अप्रार्थिया बिरजूबाई भूमिहीन व स्थानीय निवासी होने से आवंटन की पात्रता रखा जाना प्रतीत होता है, इसी आधार पर दिनांक 28.06.81 को ग्राम मांगरोल में खसरा नंबर 7 रकबा 10 बीघा भूमि बृजू बेवा बद्रीलाल बैरागी को आवंटन की गई।

अतः आवंटी भूमि आवंटन की पात्रता रखने के कारण भूमि का आवंटन किया जाना साबित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2023 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.01.24 11:03:36 IST
Reason: SelfAttested